की क्रम ख्या तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सि
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

अर्जुन ठाकुर, पिता-स्व0 धनेश्वर ठाकुर, ग्राम-सिंघानी, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-सिंघानी, थाना नं0-153, खाता संख्या-14, प्लॉट संख्या-432, 445, 446 रकवा-0.165डी0, 0.83डी0, 1.33डी0 कुल रकवा-2.325 डी0 भूमि बिशुन महतो, पिता-भरत महतो, ग्राम-होलंग, थाना-टाटीझरिया, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 61/2021 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता बिशुन महतो एवं विक्रेता अर्जुन ठाकुर पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा लगभग 50 डी0 भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की एवं ठाकुरी नौआ के नाम दर्ज है। भूमि आवेदक को खतियान से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 82/I पर गुरुदयाल हजाम के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत है। प्रतिवेदन के साथ वंशावली संलग्न किया गया है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता अर्जुन ठाकुर का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2017/418638 दिनांक-28.04.2017 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर द्वारा निर्गत् ऑनलाईन जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC/2017/391586 दिनांक-25.04.2017 और क्रेता बिशुन महतो का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2021/311769 दिनांक-16.09.2021 एवं अंचल अधिकारी, टाटीझरिया, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प कार्रवाई टिप्पणी ता
1	2	3
	JHCBC/2021/256893 दिनांक-14.09.2021 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर, ग्राम-सिंघानी, थाना नं0-153, खाता संख्या-14, प्लॉट संख्या-432, 445, 446 रकवा-0.165डी0, 0.83डी0, 1.33डी0 कुल रकवा-2.325 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 15/03/22 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 15/03/22 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.03.15 15:54:31 +05:30
Location: 192.168.100.2